सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 कार्तिक, 1947 (श०)

संख्या - 489 राँची, मंगलवार, 4 नवंबर, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

4 नवंबर, 2025

संख्या-11/जनगणना (मार्गदर्शन) विविध - 01/2025-2911/रा0--भारत सरकार के राजपत्र संख्या-4569, दिनांक-16 अक्टूबर, 2025 द्वारा प्रकाशित गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना का.आ.-4698 (अ.), नई दिल्ली 16 अक्टूबर, 2025 के अनुसार-केन्द्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 17 क के साथ पठित जनगणना नियम, 1990 के नियम 6 घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व-परीक्षण के संचालन के लिए उक्त अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती है। भारत की जनगणना, 2027 के पहले चरण के पूर्व परीक्षण अर्थात चयनित नमूना क्षेत्रों में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 10 नवम्बर, 2025 से 30 नवम्बर, 2025 तक संचालित किया जाएगा। तारीख-01 नवम्बर, 2025 से तारीख 07 नवम्बर, 2025 तक स्वगणना के लिए भी विकल्प होगा ।

तद्नुसार राज्य सरकार भी घोषणा करती है कि पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा एवं गुमला जिले में दिनांक-10 नवम्बर, 2025 से 30 नवम्बर, 2025 तक पूर्व परीक्षण संचालित किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 489 - 50